



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 342-काविनी० एवं विनियम-29/पाकालि/2017-10-काविनी एवं वे०प्र०/17 दिनांक 15 दिसम्बर, 2017

कार्यालय झाप

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा-179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल द्वारा परिचालन विधि से दिनांक 12.12.2017 को लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्वारा निम्नवत् आदेश किये जाते हैं :-

2. परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 के विनियम-9 के परिशिष्ट-1(क), श्रेणी प-4 के बिन्दु 'क' यांत्रिक संवर्ग के अन्तर्गत क्रमांक-23 (पदनाम-तकनीशियन ग्रेड-1। (विद्युत)) के पदों पर पदोन्नति/सीधी भर्ती हेतु स्तम्भ-6 (भर्ती का स्रोत) में उल्लिखित निम्नवत् तालिका के स्तम्भ-1 की व्यवस्था को तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित व्यवस्था से प्रस्तर-4 के परन्तुक सहित प्रतिस्थापित किया जाता है :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 के विनियम-9 का परिशिष्ट-1(क) के श्रेणी प-4 के बिन्दु 'क' यांत्रिक संवर्ग के अन्तर्गत क्रमांक-23 (टी०जी०-1। (विद्युत)) के स्तम्भ-6(भर्ती का स्रोत) में उल्लिखित व्यवस्था	प्रतिस्थापित की जाने वाली नवीनतम व्यवस्था
33 $\frac{1}{3}$ प्रतिशत श्रेणी प-3 एवं प-2 से पदोन्नति द्वारा तथा 66 $\frac{2}{3}$ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	10 प्रतिशत श्रेणी प-3 एवं प-2 से पदोन्नति द्वारा तथा 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

3. उपरोक्त स्तम्भ-2 की व्यवस्था को प्रतिस्थापित किये जाने के उपरान्त विज्ञप्ति सं० 263-विनियम-23/रा०वि०प०-95-4-विनियम/86 दिनांक 09.08.1995 के अन्तर्गत परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 के विनियम-9 का परिशिष्ट-1(क) के श्रेणी प-4 में क्रमांक-23 (टी०जी०-1।) के स्तम्भ-6 (भर्ती का स्रोत) में उल्लिखित प्राविधान को उक्त सीमा तक प्रतिस्थापित माना जायेगा एवं अन्य समस्त प्राविधान (संशोधनों सहित) पूर्व की भाँति यथावत् लागू रहेंगे।

4. परन्तुक यह है कि उपरोक्त यांत्रिक संवर्ग के अन्तर्गत टी०जी०-2 (विद्युत) के सभी रिक्त पदों को वर्तमान में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा उसके उपरान्त भविष्य में की जाने वाली भर्ती उपरोक्त स्तम्भ-2 की व्यवस्था के अन्तर्गत की जाएगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

सं० 342-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/16 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
- 4- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।

(क्रमशः . . . 2)

- 5- प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
- 6- समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 9- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं स्तर-2), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 10- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 11- महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 12- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 13- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 14- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 15- अनु सचिव (सचि०प्रशा०-लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 16- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 17- सचिव, उ०प्र० राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 18- समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० मुख्यालय, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 19- कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 12.12.2017 को परिचालन विधि से लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
- 20- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं० 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppccl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(राकेश मेट्ट)

अनु सचिव (का०वि०नी० एवं विनियम)

2/8